न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 7/2013 (राजसमन्द डिक्री)

1. मोड़ा पिता हंसा जी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील व जिला राजसमन्द।
2. गोपा पिता हंसा जी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील व जिला राजसमन्द।

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. पेमा पिता भज्जा जी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील व जिला राजसमन्द।
2. नारू पिता हंसा जी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील व जिला राजसमन्द।
3. भग्गा पिता उदा जी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील व जिला राजसमन्द।
4. हीरा पिता उदा जी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील व जिला राजसमन्द।
5. नारायण पिता मोहनजी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील व जिला राजसमन्द
6. बाबूलाल पिता मोहनजी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील व जिला राजसमन्द
7. चन्द्री बेवा मोहन जी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील व जिला राजसमन्द।
8. श्यामु पुत्री जी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील व जिला राजसमन्द।
9. राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 11.10.10, प्र.सं. 111/2000

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं॰ 1
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 06–11–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

राजस्व ग्राम भावा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 4 रकबा 44 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 4 मोहन मुतबन्ना रूपा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सहखातेदारी में अंकित है। उत्त भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का 1/4 हिस्सा होकर इसी अनुसार कब्जा विद्यमान है। साबिक आराजी नंबर 25, 26 व 508 किता 3 रकबा 33 बीघा भूमि का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वधिकारी रूपा व हांजा पिता जोधा द्वारा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पूर्वाधिकारी उदा, भज्जा पिता जोधा को दिनांक 09–10–1973 को रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। साबिक आराजी नंबर 25 व 26 के नये नंबर 869/10 एवं 869/11 पडे। साबिक आराजी नंबर 508 को सेटलमेन्ट अधिकारियों ने 870, 871 व 872 में अंकित कर बिलानाम दर्ज कर दी तथा साबिक आराजी नंबर 24 मी. को नये नंबर 869/6 व 869/7 के रूप में उदा पिता जोधा गुजर के नाम दर्ज कर दी। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 8 अनुसार है। वादीगण उपरोक्त पैरा 4 में वर्णित विक्रय पत्र के आधार पर आज भी काबिज चले आ रहे हैं। अतएवं वादीगण वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 8 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28–07–2003 को निम्नानुसार 6 तनकियात कायम की :–

1. आया वादी मुतनाजा आराजी के 1/4 हिस्से का सहखातेदार है ?...वादी
2. आया मुतनाजा आराजी पर वादी व उसके पूर्वजों का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अतः दावा काबिल खारिज है ? .....प्रतिवादी
3. आया 09–10–73 का बहनामा जाली है ? .....प्रतिवादी
4. आया वादी ने स्वर्गीय जोधा के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है ? .....प्रतिवादी
5. आया प्रतिवादी का कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार हो चुका है ? .....प्रतिवादी
6. दादरसी ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 11–10–2010 को वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित भूमि के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–02–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट संख्या 1 राजकीय सेवा में होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश से ग्राम तासोल में महिलाओं के प्रोटेक्शन हेतु सेवाऐं दे रहा था और वहीं नियमित ड्यूटी रहती थी। अपीलान्ट ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, जिन्होंने अपीलान्ट को बिना सूचना दिये एकपक्षीय कार्यवाही करवा दी, जिसमें अपीलान्ट का कोई दोष नहीं है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, वह जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ। मोड़ा पढ़ा लिखा होकर पुलिस विभाग में सर्विस करता है तथा राजकीय सेवा में कार्यरत है। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा ग्राम तासोल में सेवाऐं दी जाती रही है, बल्कि वह बराबर घर आता–जाता रहा है तथा रोज घर आता था व उसे केस की पूरी जानकारी थी। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का कब ज्ञान हुआ यह उसने नहीं बताया है। देरी का कोई पर्याप्त कारण नहीं है। अपील स्पष्ट रूप से मयाद बाहर है। अतएवं अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होते रहे हैं तथा उनके द्वारा जवाबदावा भी पेश किया गया है। प्रकरण में तनकियात भी कायम हुई हैं तथा वादी की साक्ष्य से जिरह भी की गयी है। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य में अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में दिनांक 16–08–2010 को बहस का अवसर

दिया गया है। पुनः दिनांक 27–08–2010 को बहस का अवसर दिया गया है तथा दिनांक 11–10–2010 को बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया है। दिनांक 11–10–2010 से पूर्व दिनांक 27–08–2010 तक अपीलान्ट के अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11–10–2010 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–12–2010 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जबकि यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–02–2013 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 2 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत हुई है, जिसके लिए अपीलान्ट द्वारा जो कारण बताये गये हैं वह न तो उचित हैं एवं न ही पर्याप्त। अपीलान्ट द्वारा 2 वर्षो तक अपने अधिवक्ता से सम्पर्क क्यों नहीं किया गया, इस बाबत् उसके द्वारा कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, तद्नुसार अपील प्रथम दृष्टया बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–10–2010 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मोडा पिता हंसा जी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील व जिला राजसमन्द व अन्य	बनाम	**पेमा पिता भज्जा जी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील व जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**7 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**राजसमन्द**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....11**.....माह.....**10**.....**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**06**.....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री कमलेश चौहान**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री संजय बोहरा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–10–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**06**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।